भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3405

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर और जीवनशैली के कारण होने वाले रोगों के मामले

3405. श्री राहुल कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दस वर्षों के दौरान देश में कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दीर्घकालिक गुर्दा रोग तथा अन्य गैर-संचारी रोगों की बढ़ती प्रवृत्ति का वर्ष-वार कोई व्यापक विश्लेषण किया है, यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों, जैसे मोटापा, तंबाकू सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, वायु प्रदूषण तथा अन्य कारकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में जांच (स्क्रीनिंग) कवरेज, जिला स्तर पर उपलब्ध नैदानिक सुविधाओं, कैंसर के उपचार संबंधी अवसंरचना, डायलिसिस सेवाओं, हृदय रोग के उपचार के लिए सुविधाओं तथा विशेषज्ञ मानव संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में कोई अंतराल विश्लेषण (गैप एनालिसिस) किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार शीघ्र जांच (अर्ली स्क्रीनिंग), निवारक स्वास्थ्य सेवाओं तथा जीवनशैली आधारित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी समेकित रणनीति को लागू करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट "इंडिया हेल्थ ऑफ दी नेशन्स स्टेट्स" के अनुसार, भारत में कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की व्याप्तता दर 1990 में 30.5% से बढ़कर 2016 में 55.4% हो गई है। विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf

आईसीएमआर ने बताया है कि व्यवहार से संबंधित और जीवनशैली से संबंधित कई जोखिम कारक गैर-संचारी रोगों के बढ़ते भार के कारक होते हैं। इनमें तंबाकू का सेवन, शराब का हानिकारक उपयोग, कम शारीरिक गतिविधि, अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतें और नमक, चीनी और संतृप्त वसा का अत्यधिक सेवन शामिल हैं।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत देशभर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत देशभर में 770 जिला गैर-संचारी रोग क्लीनिक, 233 हृदय रोग परिचर्या इकाइयां और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 गैर-संचारी रोग क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर परिचर्या की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में 524 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यरत हैं। एनपी-एनसीडी, एनएचएम के तहत मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, उन्नत कैंसर परिचर्या प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए। साथ ही, सभी 22 नए एम्स में निदान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधाओं के साथ कैंसर उपचार सुविधा केंद्रो को मंजूरी दी गई।

भारत सरकार एनपी-एनसीडी के तहत, मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सामान्य कैंसर (मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा), क्रॉनिक किडनी रोग, एसटी-सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (एसटीईएमआई), क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) और स्ट्रोक पर ध्यान केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है, जिसमें तीन सामान्य कैंसर (मुख का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर), मधुमेह और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। इस पहल में, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है। रोकथाम, नियंत्रण और जांच संबंधी सेवाएं प्रशिक्षित अग्रिम पंक्ति के कर्मियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
